

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-104/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० कुमार सौरभ, दन्त चिकित्सक, प्रोस्थोडॉन्टिक्स, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के द्वारा द्वितीय सतान के जन्म दिनांक-24.04.2025 के पश्चात उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-16.06.2025 से 30.06.2025 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-2/एल०-104/2026-

1353(2)

पटना, दिनांक-17/6/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० कुमार सौरभ, दन्त चिकित्सक, प्रोस्थोडॉन्टिक्स, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/6/26

सरकार के उप सचिव।